संख्याः 2354 / 69—1—2015—7(रिट) / 2015

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आजमगढ़ / बदायूँ / बागपत / बलरामपुर / बाँदा / बाराबंकी / बहराइच / भदोही / देवरिया / फैजाबाद / फर्रुखाबाद / फतेहपुर / फिरोजाबाद / गाजीपुर / गोण्डा / गोरखपुर / हमीरपुर / हापुड़ / हरदोई / जौनपुर / झाँसी / कानपुर नगर / एटा / कासंगज / कुशीनगर / लखीमपुर—खीरी / ललितपुर / महोबा / मीरजापुर / चंदौली / मुरादाबाद / पीलीभीत / रायबरेली / प्रतापगढ़ / सहारनपुर / सम्भल / सुल्तानपुर / महराजगंज / वाराणसी तथा संतकबीर नगर।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।　　　　लखनऊःदिनांक24 सितम्बर, 2015

विषयः **स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के उपघटक स्टेप—अप के अन्तर्गत संचालित इन्टरप्रेन्योर इन मैनेजमेंट ट्रेड में वितरित टूल किट्स में पाई गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या—2217 / 69—1—2015—7(रिट) / 2015 दिनांक 03—09—2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2013—14 में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार के उपघटक कौशल प्रशिक्षण (स्टेप—अप) के अन्तर्गत क्रय किये गये एवं वितरित टूल—किट्स की क्रय प्रक्रिया एवं गुणवत्ता की जांच हेतु अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जांच समिति, जिसमें लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता एवं वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारी सदस्य होंगे, का गठन कर जांच समिति द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली आख्या पर परीक्षणोपरान्त सुस्पष्ट संस्तुति सहित आख्या एक पक्ष के भीतर शासन को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

2— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जांच हेतु निर्धारित समय सीमा समाप्त हो गयी है किन्तु आपकी जांच आख्या प्राप्त नही हुई है। अतः कृपया वांछित जांच आख्या शासन को एक सप्ताह में प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में प्रतिशपथ—पत्र दाखिल किया जा सके।

भवदीय,

23/9/2015

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

निदेशक, सूडा

कृपया शासनादेश संख्या: 2354/ 69-1-2015-7 (सा०)/2015 दिनांक 23 सितम्बर-2015 समस्त जिलाधिकारियों को एक आदेश नोट से ऑनलाइन प्रेषित करें / By FAX / E-मेल.

24/9/15

(बृजभूषण सिंह)
अनुभाग अधिकारी
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग
उ० प्र० शासन।

Mr. Yogesh / नाज़िर

कृ० E-mail एवं डाक से भिजवायें

24/9/15